भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-3
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में शैक्षिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में असमानताएं

†*3. **श्री हैबी ईडन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल की ऐसी रिपोर्टों से अवगत है जिनमें शहरी और ग्रामीण विद्यालयों के बीच इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस की सुविधा जैसे शैक्षिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में अत्यधिक असमानताओं को उजागर किया गया है;
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में समान डिजिटल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षाओं, पुस्तकालयों, स्वच्छता और प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किये गए हैं और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(घ) शहरी विद्यालयों की तुलना में ग्रामीण विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता से सम्बन्धित डेटा का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस अंतर को पाटने के लिए वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नियुक्ति को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;
(च) छात्रों के प्रदर्शन और उनकी उपलब्धियों पर इस तरह के अंतर के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार के पास ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों, विशेषकर छात्राओं के द्वारा विद्यालय की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए जाने की दर की निगरानी करने और इसे कम करने के लिए कोई रूपरेखा है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री हैबी ईडन द्वारा शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में शैक्षिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में असमानताएं के संबंध में दिनांक 25 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): यूडाइज़+ वर्ष 2021-22 के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शैक्षिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता निम्नानुसार है:

घटक	ग्रामीण क्षेत्र (वास्तविक संख्या)	शहरी क्षेत्र (वास्तविक संख्या)
कुल स्कूल	1234788	254327
पीने का पानी	1210348	252322
लड़कों का शौचालय	1167874	238554
लड़कियों का शौचालय	1194125	245794
रैंप	909307	160488
बिजली	1083569	246736
खेल का मैदान	935109	210858
पुस्तकालय/पुस्तक बैंक/रीडिंग कॉर्नर	1074617	225312
फर्नीचर	826581	212587
कक्षा (कुल)	7122314	2865237
डिजिटल बुनियादी ढांचा (कक्षा VI से XII के लिए)		
कुल स्कूल	553894	174761
आईसीटी प्रयोगशाला	68305	17877
स्मार्ट कक्षाएं	86798	43906
इंटरनेट सुविधा	228057	120257
टिंकरिंग प्रयोगशालाएं	15482	11056

स्रोत: यूडाइज़+2021-22

(ख): ग्रामीण क्षेत्रों में समान डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए की जा रही पहल का ब्यौरा **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से देशभर में समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सतत् अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल के बुनियादी ढांचे जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, स्वच्छता, प्रयोगशालाओं आदि को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रबंध 2018-19 से 2023-24 के अनुसार, प्रमुख घटकों के लिए ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित निधि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	घटक	निधि का आबंटन (रुपए लाख में)
1	कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय आदि	672956.09
2	लड़कों और लड़कियों के शौचालय	211132.57
3	पेयजल की सुविधाएँ	37479.35
4	रैंप	12096.41
5	बिजली	37102.76
	कुल	**970767.18**

स्रोत:प्रबंध (2018-19-2023-24)

(घ): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+), वर्ष 2021-22 के अनुसार, ग्रामीण विद्यालयों में 66.63 लाख शिक्षकों में से 58.55 लाख (87.9%) अर्हताप्राप्त शिक्षक हैं। इसके अलावा, शहरी विद्यालयों में 28.43 लाख शिक्षकों में से 24.70 लाख (86.9%) अर्हताप्राप्त शिक्षक हैं।

(ड.): शिक्षकों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आती है। भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बढ़ी हुई छात्र संख्या के परिणामस्वरूप शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता जैसे कई कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और सलाह के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्ड के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने और उनकी तर्कसंगत तैनाती का अनुरोध करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(च): वर्ष 2017 और वर्ष 2021 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ने शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच उपलब्धियों के स्तर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाया है। इस सर्वेक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड के अर्थों में संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन नहीं किया गया है।

(छ): समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे:

i) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना;
ii) स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण;
iii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन;

iv) नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना;
v) पीएम जनमन और डीए-जेजीयूए योजना के तहत छात्रावासों का निर्माण;
vi) पात्रता के अनुसार नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और परिवहन भत्ता;
vii) नामांकन और रिटेंशन अभियान चलाना;
viii) सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों के लिए वजीफे का प्रावधान - 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह और
viii) उपयुक्त स्थानों पर इंसिनेरेटर्स और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले बच्चों को आयु-अनुरूप प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा भी स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) और ड्रॉपआउट तथा अन्य शिक्षा संकेतकों की निगरानी के लिए अपार आईडी के कार्यान्वयन जैसी पहल भी की हैं।

वीएसके को शैक्षिक पहलों और उनके अंतिम परिणामों की निगरानी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्यनीतियों के साथ तैयार किया गया है। वीएसके की एक प्रमुख विशेषता ड्रॉपआउट छात्रों की ट्रैकिंग, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की निगरानी, अधिगम परिणामों की प्रगति और विभिन्न उपायों की वास्तविक समय पर निगरानी है, जिसका उद्देश्य पहुंच में सुधार, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूलों में शिक्षकों की जवाबदेही को बढ़ाना है। 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) एक 12 अंकों की आजीवन छात्र आईडी है जो आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक सहमति ढांचे के तहत आधार से जुड़ी हुई है।

इन दो पहलों को छात्रों की निगरानी और ड्रॉप आउट दरों को कम करके परिवर्तनकारी और आदर्श उदाहरण बनाने के लिए तैयार किया गया है।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री हैबी ईडन द्वारा शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में शैक्षिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में असमानताएं के संबंध में दिनांक 25 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में समान डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल चलायी जा रही है जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा सहित ई-शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि शिक्षा तक बहु-मोड पहुँच को सक्षम बनाया जा सके। इस पहल के प्रमुख घटक हैं:-

- दीक्षा - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकें **(एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)** उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा। दीक्षा में वर्तमान में क्यूआर कोड वाली 7,080 से अधिक पाठ्यपुस्तकें हैं, जिनमें 374 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और ईटीबी शामिल हैं।

- डीटीएच टीवी चैनल - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को बढ़ाकर 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल कर दिया गया है, ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। ये चैनल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के तहत स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं और कार्यात्मक हैं।

- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।

- दृष्टि एवं श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) और सांकेतिक भाषा पर विशेष ई-सामग्री तैयार की गई है। यह एनआईओएस की वेबसाइट/यूट्यूब पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण और समीक्षात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल भी बनाया गया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के 280 वर्चुअल लैब उपलब्ध कराए गए हैं। देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल लैब पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) 2022 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के सभी चरणों में पढ़ाने और सीखने के लिए बच्चे की मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर बल देती है। इसलिए, युवा और वयस्क शिक्षार्थियों के बीच भाषा सीखने को बढ़ावा देने के लिए, प्राइमर्स- पुस्तक के रूप में

शिक्षण सामग्री (प्रिंट या डिजिटल) तैयार की जाती है इसके बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर ने कुल 79 प्राइमर विकसित किए हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा **67** आदिवासी भाषाओं को शामिल करते हुए शुरु किए गए हैं।

ये प्राइमर एनसीईआरटी वेब पोर्टल: https://ncert.nic.in/primers.php?ln=en और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्येक मौजूद स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से शिक्षण एवं अधिगम के लिए आवश्यक डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके।

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

(i) विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट क्लासरूम का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास हार्डवेयर जैसे टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता खरीदने के लिए लचीलापन है। इसमें अनुमोदित स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

(ii) विकल्प II: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

आईसीटी लैब: 6.40 लाख प्रति विद्यालय रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष 2023-24 से, यह योजना विद्यालय नामांकन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वित्त पोषण भी प्रदान करती है। (संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, 100-250 के बीच: 4.5 लाख रुपये, 250-700 के बीच: 6.4 लाख रुपये)

स्मार्ट क्लासरूम: स्मार्ट क्लास रूम (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट क्लासरूम) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये प्रति स्कूल प्रति वर्ष है (ई-कंटेंट और डिजिटल संसाधन, बिजली के शुल्क सहित)।

इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन/अनुबंध करने और उन सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक सलाह जारी की गई है, जिनके पास कंप्यूटिंग डिवाइस हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट शुल्क निम्नलिखित से पूरा किया जा सकता है:

(क) समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत आईसीटी लैब/स्मार्ट क्लास रूम के लिए, समग्र शिक्षा के तहत आवर्ती शुल्क जारी किए जा रहे हैं और इंटरनेट शुल्क इस राशि से पूरा किया जा सकता है।

(ख) जिन स्कूलों में आईसीटी/स्मार्ट क्लास रूम समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत नहीं हैं और जिनमें कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, उनके लिए इंटरनेट शुल्क समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधियों से पूरा किया जा सकता है या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की निधियों से पूरा किया जा सकता है।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्थान मौजूद स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से शिक्षण सीखने के लिए आवश्यक डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके।

टिंकरिंग प्रयोगशाला :

अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (एटीएल) कार्यक्रम एआईएम, नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर रचनात्मकता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। एटीएल में विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपन-सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड, सेंसर और 3डी प्रिंटर और कंप्यूटर पर शैक्षणिक और सीखने के लिए 'खुद करो' किट और उपकरण शामिल हैं। नीति आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 10,000 एटीएल स्थापित किए गए हैं। समग्र शिक्षा में, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5283 टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। पीएम श्री में चौथे चरण तक 5554 टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।

*****